राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1973, 1975, 1977, 1979, एवं 1981/2016..जिला...............................जैसलमेर

उनवान – मैसर्स द गेटवे होटल, रावलकोट, जैसलमेर बनाम् 1. अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, जोधपुर 2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/09/2016	**एकलपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री जे.एन.शर्मा एवं विभाग की ओर से श्री डी.पी.ओझा, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। यह पांचों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्रों के अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2016 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 25, 55 एवं 61 के तहत् कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार विवादित मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्रों को आंशिक स्वीकार किया, जिसके विरूद्ध यह पांचों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्रों के अधिनियम की धारा 38(4) सपठित धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है। समस्त अपीलों में पक्षकार एवं विवाद बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जा रही है।	

अ.सं.	कर नि. वर्ष	अपी.अधिकारी की अपील सं.	अपी. अधि. के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि	अ.अधि. द्वारा स्थगित राशि	कर बोर्ड के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि
1	2	3	4	5	6
1973/16	11–12	132/बीएमआर	1,60,000	1,18,000	**42,000**
1975/16	12–13	133/बीएमआर	2,60,000	1,94,000	**66,000**
1977/16	13–14	134/बीएमआर	2,50,000	1,78,000	**72,000**
1979/16	14–15	135/बीएमआर	2,40,000	1,71,000	**69,000**
1981/16	15–16	136/बीएमआर	1,14,000	80,000	**34,000**

अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्रों के सम्बन्ध में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री जे.एन.शर्मा ने न्यायिक दृष्टान्त **(2014) 74 वी.एस.टी. 86 (उत्तराखंड) वैली होटल एण्ड रिसोर्ट्स बनाम आयुक्त, वाणिज्यिक कर; 38 टैक्स अपडेट 215 (राज.) वाणिज्यिक कर अधिकारी, जयपुर बनाम मैर्स ब्रिटानिया डेयरी प्रा0 लि0; (1993) 91 एस.टी.सी. 398 (पंजाब एण्ड हरियाणा) गुरनदित्ता मल शॉती प्रकाश राईस मिल्स बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य; (2004) 136 एस.टी.सी. 12 (एस.सी.) स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य बनाम गुरनदित्ता मल शॉती प्रकाश; (2000) 117 एस.टी.सी. 01 (एस.सी.) के. दामोदरसामी नायडू एण्ड ब्रदर्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू व अन्य; (1987) 65 एस.टी.सी. (एस.सी.) सेन्ट्रल वाईन्स बनाम विशष वाणिज्यिक कर अधिकारी; (1997) 117 एस.टी.सी. 478 (आंध्रप्रदेश) स्टेट ऑफ आंध्रप्रदेश बनाम टी. सिद्धैया नायडू एण्ड कं0; (1980) 46 एस.टी.सी. 477 (एस.सी.) आनन्दस्वरूप महेश कुमार बनाम कमिश्नर सेल्स टैक्स;**

लगातार.............2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

02/09/2016

(2008) 12 वी.एस.टी. 371 (एस.सी.) इमेजिक क्रिएटिव प्रा0 लि0 बनाम कमिश्नर वाणिज्यिक कर व अन्य; (2013) 20 वेट रिपोर्टर 25 (केरल) साउथ मालाबार ट्रेडिंग कम्पनी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य; (2014) 22 वेट रिपोर्टर 153 (केरल) यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य बनाम केरला बार होटल्स एसोसियेशन व अन्य की प्रतियां प्रस्तुत करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पांचों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्रों के स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री डी. पी. ओझा ने कर निर्धारण आदेशों व अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्रों को अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस सुनने, कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों, प्रस्तुत अपीलों व स्थगन आधारों पर विचार किये जाने एवं माननीय न्यायालयों के उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों में दिये गये दिशा–निर्देशों के उपरान्त प्रकरणों में सुविधा संतुलन प्रथम दृष्टया अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः **प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए पांचों प्रकरणों में शेष वसूली योग्य मांग राशि (उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या–6 अनुसार) की वसूली पर अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपीलों के निस्तारण तक अथवा 2 माह जो भी पहले हो, तक रोक लगाई जाती है। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के दो माह में उनके समक्ष लम्बित अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

पांचों अपीलों का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।

आदेश प्रसारित किया गया।

2-9-2016

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर